भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1615

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए योजना

1615. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख नदियों के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितनी नदियों को शामिल किया गया है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): सीवेज और उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी को नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा और गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमामि गंगे' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, अन्य नदियों के संबंध में, इन नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है।

एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 8931.49 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ देश के 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 57 नदियों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 30 नदियां शामिल हैं और 39604 करोड़ रुपये की लागत के साथ कुल 484 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 6255 एमएलडी सीवेज शोधन की 203 परियोजनाएं और 5249 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाये जाने का कार्य शामिल है, अब तक 3327 एमएलडी की सीवरेज शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

*****